दिनांकः 22.06.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी द्वारा दिनांक 12.02.2024 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 6 नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत मामले में वादी का कथन है कि प्रतिवादी सं 1ख के बयान तहरीरी दिनांक 02.12.2023 से पहली बार यह जाहिर हुआ कि रहमान मियां प्रतिवादी सं 1 ने दिनांक 05.04.12 को एक बकसीसनामा एजाजुल अंसारी उर्फ एजाजुल मियां प्रतिवादी सं 1 के नाम लिखकर छोड़ा है जिसके कारण नालिस में मरम्मत आवश्यक है अतः अर्जी नालिस के पैरा नं 7 के नीचे एक नया पैरा 7क , 7ख एवं दादरसी क के नीचे नया दादरसी क–1 जोड़ने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से मामले में आवेदन का विरोध किया गया और कहा गया है कि आवेदन वाद में विलंब करने के आशय से दिया गया है अतः संशोधन आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा करें।

उभय पक्षों को सुना। मामले में वादी के आवेदन का अनुशीलन किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।''

प्रस्तुत मामले में वादी के द्वारा दिया गया संशोधन आवेदन तथा प्रतिवादी 1ख के लिखित कथन के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि वादी द्वारा बकसीसनामे की बात जो अपने संशोधन आवेदन में की गयी है वह सही है और विचारण के पश्चात एक नया तथ्य न्यायालय के समक्ष आया है जो कि उचित तत्परता के बावजूद भी विचारण प्रारंभ से पहले उठाया नहीं जा सकता था चूंकि संशोधन आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा इससे वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है संशोधन आवेदन

औपचारिक प्रकृति का है। अतः न्यायहित में संशोधन आवेदन व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है और एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक.....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।